रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D(D)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1979 (पौष 1, 1901)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1979 (PAUSA 1, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 653

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1625

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1125

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . . —

भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . —

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और (संघ राज्य क्षेत्रो के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . 2961

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 3555

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 443

भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 10635

भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस 719

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 133

भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . 3011

भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 181

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. | 653 |
| PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. | 1625 |
| PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. | — |
| PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence | 1125 |
| PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations. .. .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. | — |
| PART II.—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Adminitrations of Union Territories) .. | 2961 |
| PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. | 3555 |
| PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. | 443 |
| PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. .. | 10635 |
| PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. | 719 |
| PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. | 133 |
| PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. | 3011 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. | 181 |

# भाग I—खण्ड 1

# PART I—SECTION 1

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1978

सं० 67—प्रेज/79—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनकी असाधारण कर्त्तव्य-परायणता अथवा साहस के कार्यों के लिये "वायुसेना मैडल"/"ऐयर फोर्स मैडल" सहर्ष प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. ग्रुप कैप्टन सुरजीत सिंह मल्होत्रा (4831)
फ्लाइंग (पायलट)

ग्रुप कैप्टन सुरजीत सिंह मल्होत्रा को नवम्बर 1954 में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया । इन्होंने मार्च 1976 में वायुसेना मुख्यालय संचार स्क्वाड्रन की कमान संभाली । कमान संभालने के पहले ही वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने स्क्वाड्रन के प्रत्येक कार्य तथा कुशलता में उल्लेखनीय सुधार किया । इस स्क्वाड्रन को अपने कुल 5292 घन्टों की उड़ान में किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा और इसके साथ-साथ अपनी कार्य-क्षमता भी बनाए रखी । इन्होंने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि प्रशिक्षण में किसी प्रकार की शिथिलता न आने पाए । इस तरह से स्क्वाड्रन अपने वायुकर्मियों की शत-प्रतिशत कार्यकुशलता बनाए रख सका और पूर्णतः सक्रियात्मक कार्यों के योग्य रहा । इनके सुयोग्य मार्गदर्शन में स्क्वाड्रन ने विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा से सम्बन्धित सभी कार्य बखूबी निभाए और अन्य परिवहन सम्बन्धी जो सहायक कार्य इसे सौंपे गए उन्हें भी पूरा किया ।

ग्रुप कैप्टन मल्होत्रा ने बिना किसी दुर्घटना के 7,300 घन्टे की अबाध तथा निष्कंटक उड़ान भरने का गौरव प्राप्त किया । ये 6 प्रकार के लड़ाकू विमान उड़ चुके हैं और चार से अधिक किस्मों के विमानों की उड़ान में उच्चतम परिवहन श्रेणी "ए" प्राप्त कर चुके हैं । इस समय उपयोग में आ रहे दो किस्म के विमानों में इन्हें वर्ग "ए" मिला हुआ है । यह एक प्रशंसनीय उपलब्धि है विशेषकर जबकि वे अपनी सेवा के दौरान लगभग सात वर्ष तक ग्राउंड ड्यूटी पर रहे हैं ।

इस प्रकार ग्रुप कप्टन सुरजीत सिंह मल्होत्रा ने उच्च व्यावसायिक कुशलता, निष्ठा और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया है ।

2. विंग कमांडर दया कृष्ण धीमन (5180)
फ्लाईंग (पायलट) ।

विंग कमांडर दया कृष्ण धीमन एक लड़ाकू स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर थे । विमान यातायात नियन्त्रण में उड़ान पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी पर होते हुए जब इन्हें एक ऐसे विमान चालक की सहायता करने के लिए कहा गया, जिसके विमान का थ्राटल 98 प्रतिशत आर० पी० एम० पर अटक जाने से विमान का पावर नियन्त्रण तथा सभी हाईड्रालिक यंत्रों ने काम करना बन्द कर दिया था और दोनों जनरेटरों के काम न करने के कारण विद्युत सप्लाई भी समाप्त हो गई थी । यह एक असाधारण और चुनौतीपूर्ण स्थिति थी और किसी प्रकार की गम्भीर दुर्घटना से बचने के लिये विमान को भूमि पर तत्काल उतारना आवश्यक था । विंग कमांडर धीमन ने ऐसी परिस्थिति में विमान चालक की जो सलाह दी उसके परिणामस्वरूप चालक विमान को उतारने में सफल रहा । इससे विंग कमांडर धीमन की व्यावसायिक कुशलता का परिचय मिलता है । यह इनकी व्यावसायिक कुशलता का ही परिणाम है कि भाव में विमान के खराब हो जाने पर इन्होंने तत्काल खराबी का पता लगा दिया ।

विंग कमांडर धीमन ने कमांडिंग अफसर के रूप में अपने कठिन परिश्रम से भूमि तथा आकाश दोनों ही में संक्रियात्मक शक्ति को बढ़ाया । यद्यपि उनकी यूनिट के पास पुराने किस्म के विमान हैं जिनमें रख-रखाव और संक्रियात्मक सम्बन्धी कई समस्यायें हैं, लेकिन विंग कमांडर धीमन ने सभी कठिनाइयों पर काबू पाकर यूनिट को असाधारण संक्रियात्मक प्रशिक्षण यूनिट के स्तर तक पहुंचाया ।

इस प्रकार विंग कमांडर दया कृष्ण धीमन ने असाधारण व्यावसायिक कुशलता, नेतृत्व तथा उच्च-कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

3. विंग कमांडर श्रीनिवासपुरम कृष्णास्वामी (6338)
फ्लाईंग (पायलट) ।

विंग कमांडर श्रीनिवासपुरम कृष्णास्वामी ने सामरिक और हवाई समाघात विकास प्रतिष्ठान में एक वर्ष तक कार्य किया । उस अवधि में इन्होंने फ्लाईंग कमांडर और स्टाफ पायलट के कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के साथ फाइटर कम्बैट लीडर कोर्स का भी संचालन किया । फ्लाइंग कमांडर के रूप में विमानों के रख-रखाव आदि करने वाले अनुभाग "डैली सर्विसिंग सेक्शन" को नियमित रूप से चलाने का कठिन कार्य किया और कार्य का स्तर ऊंचा बना रहे इसके लिए अक्सर दिन-रात काम किया । टैस्ट पायलट के रूप में अपने व्यावसायिक ज्ञान का उपयोग करते हुए इन्होंने अपने अधीनस्थ वायुसैनिकों/तकनीशियनों का मार्गदर्शन किया और स्वयम् आदर्श उपस्थित कर उन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया । यह इनकी गहरी लगन का ही परिणाम था कि "डैली सर्विसिंग सेक्शन" और मरम्मत तथा सर्विसिंग सेक्शन अपने नियत कार्य को पूरा कर सके । आकाश में भी, प्रतिष्ठान के संक्रियात्मक उड़ानों में पूरा योगदान देते रहे ।

इनका योगदान केवल प्रतिष्ठान के कार्यों तक ही सीमित नहीं रहा अपितु ऐसे विमानों की विशेष परीक्षण करने में भी इन्होंने सहायता की जिनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी आ गई थी और जो अनुभवी स्क्वाड्रन पायलटों के बस का भी नहीं था । इस प्रकार की उड़ानें जोखिमपूर्ण होने के साथ ही यह जानते हुए कि वह फ्लाईंग ड्यूटी पर कार्य नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे कार्यों को सदा ही स्वेच्छा से किया और विमान चालक तथा विमान दोनों की सुरक्षा करते हुए, उड़ान की । वायुगति सम्बन्धी विषय में इन्हें दूसरे अड्डों पर भी गहन ज्ञान होने के कारण विमान चालकों को विशेष भाषण देने और विमान रखरखाव की तकनीक बताने के लिए आमंत्रित किया गया और इस प्रकार उड़ान सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की ।

इस प्रकार विंग कमांडर श्रीनिवासपुरम कृष्णास्वामी ने उच्च कोटि की व्यावसायिक कुशलता, कार्यक्षमता एवं असाधारण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

4. स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार सिंह (6336)
फ्लाईंग (पायलट) ।

स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार सिंह को 1961 में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया । 1965 में इन्होंने उड़ान प्रशिक्षक बनने की सभी योग्यतायें प्राप्त की और इस कार्य को भी योग्यता के साथ निभाया । इनकी उड़ान कुशलता तथा व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर इन्हें 1966 में स्टेशन इन्स्ट्रूमेंट रेटिंग इन्स्ट्रक्टर नियुक्त किया गया । प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के दौरान 1967 में "ए" वर्ग की योग्यताएं प्राप्त करने पर इन्होंने अपना विशेष स्थान बना लिया था और उसके बाद फ्लाईंग स्कूल और संक्रियात्मक विमान यूनिट में प्रशंसनीय कार्य किया । इन्होंने 3500 घन्टे की उड़ान की है जिसमें कोई भी दुर्घटना नहीं हुई ।

डिफेंस सर्विसिज स्टाफ कालेज में विशेष योग्यता के साथ पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के बाद इन्हें वायुसेना मुख्यालय में एयर फोर्स रिक्वायरमेंट डाइरेक्टोरेट में नियुक्त किया गया । वायुसेना और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों के संचालन के लिए कितने कर्मचारियों की जरूरत होगी, इसकी योजना बनाने और भारतीय वायुसेना में लिये जाने वाले नए शस्त्रों का स्थितिवार विश्लेषण और मूल्यांकन करने का काम इन्हें सौंपा गया । इसके अतिरिक्त इन्हें एक समयबद्ध विशेष संकल्पनात्मक कार्य पूरा करने को भी कहा गया । जिसे इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया । अनुसंधान तथा विकास संगठन और विमान उद्योग में विभिन्न एजेंसियो के साथ बराबर सम्पर्क भी बनाए रखा जिससे वायुसेना के लिए भारी उपस्कर प्राप्त करने और देश में ही उनको बनाने की योजना तैयार करने में सहायता मिली ।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार सिंह ने व्यावसायिक दक्षता, अध्यवसाय एवं असाधारण कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

5. स्क्वाड्रन लीडर गोपाल कृष्ण मेहता (6752)
फ्लाईंग (पायलट) ।

स्क्वाड्रन लीडर गोपाल कृष्ण मेहता फ्लाईंग कमांडर के रूप में काम करते रहे । इस स्क्वाड्रन को विमानों के रख-रखाव के काम में समन्वय तथा पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने अपनी सुख-सुविधा की परवाह किये बिना काफी देर तक काम कर निर्धारित समय से पहले पूरा कर दिखाया । इन्होंने स्वयं अकेले 900 से अधिक घन्टों की उड़ान भरी । इसमें से इन्होंने 550 घन्टे की उड़ानें नागालैण्ड और मिजोरम में संक्रियात्मक कार्यों के सिलसिले में की । इन्होंने कुल मिलाकर 4784 घन्टे उड़ान की है जिसमें खराब मौसम के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में 2010 घन्टे की संक्रियात्मक उड़ान शामिल है । मास्टर ग्रीन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के साथ ये "ए" वर्ग के परिवहन पायलट हैं । अपनी व्यावसायिक दक्षता और संगठनात्मक योग्यता से इन्होंने स्क्वाड्रन पायलटों के वर्गीकरण में हर प्रकार का सुधार किया है । ये इस तरह की उड़ानों में उन्हें अपने साथ ले जाते रहे, और उन्हें प्रशिक्षित किया तथा वर्गीकरण की श्रेणी में लाए । यह इनकी वैयक्तिक रुचि का फल था कि इनसे प्रोत्साहित होकर इनके अधीनस्थ काम करने वालों ने वायुसेना की पूर्ण निष्ठा से सेवा की ।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर गोपाल कृष्ण मेहता ने व्यावसायिक कुशलता, नेतृत्व और असाधारण कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

6. स्क्वाड्रन लीडर राजेंद्र पाल सिंह ढिल्लों, एल० सी० (7741)
फ्लाईंग (पायलट) ।

स्क्वाड्रन लीडर राजेंद्र पाल सिंह ढिल्लों दिसम्बर 1975 से एक हेलीकाप्टर यूनिट की कमान कर रहे है । इनके कार्यकाल के दौरान इस यूनिट ने गहरे समुद्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में जो योगदान किया उससे वायुसेना की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी है । पायलटों की कमी होने पर भी इन्होंने अपना कार्य किया और बड़ी संख्या में उड़ान भरी । इस प्रकार 600 घन्टे उड़ान करके इन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तेल निकालने के काम में सहायता की ।

यूनिट कमांडर के रूप में स्क्वाड्रन लीडर ढिल्लों में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनके अधीन काम करने वाले सभी कार्मिक एक संगठित दल के रूप में काम करें और इस यूनिट को सौंपे गए सभी काम इसी भावना से पूरे हुए और इससे इनके उच्च अधिकारी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थे । इन्होंने देश के दूर-दराज क्षेत्रों तथा विदेशों में विशिष्ट व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिये 150 उड़ानें भरी । अब तक इन्होंने जैट विमानों तथा हेलीकाप्टरों पर 5200 घन्टे की उड़ान भरी है ।

इस प्रकार स्क्वाड्रन लीडर राजेंद्र पाल सिंह ढिल्लों ने व्यावसायिक कुशलता नेतृत्व और असाधारण कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

7. स्क्वाड्रन लीडर स्वर्ण सिंह बंगा (8100)
फ्लाईंग (पायलट)

21 मई, 1977 को स्क्वाड्रन लीडर स्वर्ण सिंह बंगा स्थानीय उड़ान क्षेत्र में उड़ान प्रशिक्षण दे रहे थे । इनका विमान जब 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो इन्होंने देखा कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसका इंजन खराब हो गया था । उसे ठीक करने की सारी कोशिशें बेकार रहीं । विमान इतनी ऊंचाई पर था कि यदि वे चाहते तो छतरी द्वारा दोनों सवार सही सलामत नीचे उतर सकते थे । लेकिन इस मूल्यवान विमान को बचाने के लिए स्क्वाड्रन लीडर बंगा ने उसे नीचे उतारने का फैसला किया । उधर नीचे हवाई पट्टी पर थोड़े से ही फासले पर निर्माण-कार्य चल रहा था । संकट की इस घड़ी में इन्होंने बड़े संयम से काम लिया और बड़ी कुशलता से हवाई पट्टी पर विमान को बुलडोजर से बाल-बाल बचाकर नीचे उतार दिया ।

इस कार्य में स्क्वाड्रन लीडर बंगा ने असाधारण साहस, व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

8. फ्लाइट लेफ्टिनेंट ठाकुर रामानुज सिंह (10593)
फ्लाईंग (पायलट) ।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट ठाकुर रामानुज सिंह ने अक्तूबर 1966 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया । इन्होंने 2740 घन्टों की निर्बाध उड़ान की है । 14 अक्टूबर, 1977 को जब इन्हें यह कहा गया कि एवरेस्ट विजेता तथा "समुद्र से आकाश अभियान" के नेता सर एडमन्ड हिलेरी भक्षा हवाईपट्टी के पास गम्भीर रूप से बिमार हैं और उन्हें वहां से लाना है तो इन्होंने तत्काल उड़ान भरी और अपनी व्यावसायिक कुशलता तथा सही योजना बनाने की क्षमता का परिचय देते हुए बहुत कम समय में हवाई पट्टी पर पहुंच गए । वहां पहुंचने पर इन्हें पता चला कि सर एडमंड हिलेरी आधार शिविर में हैं जो समुद्र तल से लगभग 17,500 फुट की ऊंचाई पर सर पर्वत में स्थित है । उस समय मौसम बहुत ही खराब था और 11,500 से 19,000 फुट की ऊंचाई के बीच सारा क्षेत्र बादलों से ढका हुआ था । अपने जीवन की सुरक्षा की परवाह किये बिना विमान में सवार हो गए और आधार शिविर पर पहुंचने का प्रयत्न किया । शिविर की खोज में इन्होंने असाधारण चातुर्य दिखाया । परन्तु शिविर के पास बादल होने के कारण शिविर का पता लगाने में सफल न हो सके । वह सर एडमंड हिलेरी को बचाने का प्रयास सूर्यास्त तक करते रहे लेकिन अन्त में मजबूरन इन्हें वापस लौटना पड़ा ।

15 अक्टूबर 1977 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिंह उसी कार्य पर सह-विमान चालक के रूप में फिर से भेजे गये । सूर्योदय होते ही हेलीकोप्टर आकाश में उड़ गया । मौसम में इस समय तक कुछ सुधार हो गया था जिससे कर्मीदल उस क्षेत्र की टोह ले सका । 15 मिनट की उड़ान के बाद, सर्वप्रथम फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिंह ने ही 17,500 फुट की ऊंचाई पर सर एडमन्ड हिलेरी का पता लगाया । निरन्तर सूचना देते हुये हेलीकाप्टर के पायलट को हेलीकाप्टर को सर हिलेरी के खेमे के ऊपर उड़ाने में सहायता की । उस घाटी में हेलीकाप्टर न तो उतर सकता था और न ही बिच से उठाये रखा जा सकता था । फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिंह आत्म-रक्षा की परवाह किए बिना उड़ते हुए हेलीकाप्टर से बाहर कूदे और सर एडमंड हिलेरी को विमान में चढ़ाया और फिर स्वयं उस पर चढ़े ।

इसके बाद आपने सर हिलैरी को आराम से लिटाया और विमान को आधार शिविर में लाने में कैप्टेन की सहायता की ।

इस प्रकार फ्लाइट लेफ्टिनेंट ठाकुर रामानुज सिंह ने उच्च स्तर की उड़ान क्षमता, अनुकरणीय साहस एवं असाधारण कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

9. फ्लाइट लैफ्टिनेंट मिर्जा मुर्तजा अली (11340)
फ्लाइंग (पायलट) ।

फ्लाइट लैफ्टिनेंट मिर्जा मुर्तजा अली 5 जनवरी, 1975 से एक हैली-काप्टर यूनिट के फ्लाइट कमांडर के रूप में तैनात है । इन्हें इस यूनिट के सभी प्रकार के उड़ान संबंधी कार्यों के अलावा कर्मीदल के प्रशिक्षण की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है । इस यूनिट में पायलटों को विभिन्न प्रकार के वायुयानों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है । इसलिए पायलटों को विभिन्न प्रकार के वायुयान को चलाने का प्रशिक्षण देने का काम भी इन्हें सौंपा गया । पर्यवेक्षण कार्य के अलावा इन्हें आधार और जमीन पर प्रशिक्षण देने का काम भी करना होता है । इन्होंने इस कार्य को पूरी लगन से किया और अपनी व्यावसायिक कुशलता, अध्यवसाय और कठिन परिश्रम से 26 पायलटों को विभिन्न प्रकार के वायुयानों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जो अपने आप में बहुत बड़ा काम है । अपनी यूनिट में इन्होंने उड़ान कार्यों से सम्बन्धित सभी पहलुओं का बहुत बारीकी से अध्ययन किया । इनकी देख-रेख में इस यूनिट ने 1976 में 22 34 घंटे की अवधि की निर्बाध उड़ानें भरी । उस अवधि में इन्होंने स्वयं 631 घन्टे की उड़ान भर कर अपने साथियों तथा कनिष्ठ अफसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया । इन्हें बी/1 मास्टर ग्रीन कैटिगरी मिली हुई है।

इस प्रकार फ्लाइट लैफ्टिनेंट मिर्जा मुर्तजा अली ने व्यावसायिक कुशलता, नेतृत्व और असाधारण कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

10. 200072 मास्टर वारंट अफसर जगदीश चन्द्र मुंजल
फ्लाइट सिगनलर ।

मास्टर वारंट अफसर जगदीश चन्द्र मुंजल, जून, 1973 से वायुसेना के एक परिवहन स्क्वाड्रन में फ्लाइट सिगनलर के रूप में काम कर रहे हैं । इन्होंने अब तक 9800 घंटे उड़ान की है, जिसमें से 2320 घंटे सक्रियात्मक उड़ान के हैं । दुष्कर और कठिन कार्यों को करने में हमेशा अग्रणी रहकर इन्होंने उच्चकोटि के वायुसैनिक होने का परिचय दिया है । अपने निरन्तर और अथक प्रयासों के फलस्वरूप इन्होंने एक वर्ष में 720 घंटे की उड़ान भरी और तीन वर्षों में परिवहन विमान पर 2100 घंटे से अधिक समय की उड़ान भरी ।

इस प्रकार मास्टर वारंट अफसर जगदीश चन्द्र मुंजल ने व्यावसायिक कुशलता, साहस तथा असाधारण कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

विनांक 14 दिसम्बर 1979

सं० 69—प्रेस/79—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सूरत सिंह, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल सं० 695992046,
51वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

28 मई, 1978 को 14.00 बजे बी० ओ० पी० मेहराना, जिला जैसलमेर में सूचना प्राप्त हुई कि, गांव शाहदा में एक घर में 6 कुख्यात डाकु (तीन पाकिस्तानी तथा तीन भारतीय) आश्रय लिये हुए हैं और उनके द्वारा डकैती डालने की संभावना है। एक निरीक्षक दो उप-निरीक्षक तथा 15 अन्य पदाधिकारियों का एक दल डाकुओं द्वारा कोई अपराध किये जाने से पहले उनको गिरफ्तार करने के लिये नियुक्त किया गया । गश्ती-दल को तीन-दलों में विभाजित किया गया । वे मेहराना के लिये 22.00 बजे रवाना हुए । गश्ती-दल 29 मई, 1978 को प्रातः शाहदा गांव में पहुंचा किन्तु 05.30 बजे उन पर भारी गोलीबारी होने लगी । गश्ती-दल ने भी रक्षात्मक हेतु जवाब में गोली चलाई । कुछ समय के पश्चात् गोलीबारी बन्द हो गई । इसी दौरान डाकू भारत-पाक सीमा की ओर बच निकले । गश्ती-दल ने डाकुओं का पीछा किया । पुलिस को धोखा देने के लिए डाकुओं ने अपने को दो दलों में विभाजित किया और वे दो भिन्न-भिन्न दिशाओं की ओर बढ़े । दोनों दलों का अलग-अलग पुलिस दल ने पीछा किया । श्री सूरत सिंह कांस्टेबल उस गश्ती-दल के एक सदस्य थे जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण कुमार उप-निरीक्षक कर रहे थे और जो बाईं ओर बढ़ते हुए डाकुओं के एक दल का पीछा कर रहे थे । इन डाकुओं का पीछा करते हुए श्री सूरत सिंह, जो दल के अगुआ थे, ने देखा कि एक डाकू रेत के टीले की दूसरी ओर उतर रहा है । उसने श्री कृष्ण कुमार को इसकी सूचना दी और वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए डाकुओं से तेज दौड़े तथा भागते हुए डाकुओं की वापसी का रास्ता सफलता पूर्वक काट दिया । शीघ्र ही श्री कृष्ण कुमार भी उनके साथ आ मिले । डाकुओं ने आत्म समर्पण की घोषणा की और अपने हाथ ऊपर उठा लिये । जब श्री सूरत सिंह उनको गिरफ्तार करने के लिये बढ़े तो डाकुओं में से एक ने श्री सूरत सिंह की छाती में गोली मार दी । श्री सूरत सिंह ने अपनी चोट की परवाह न करते हुए डाकू से संघर्ष किया ताकि वह गश्ती-दल के किसी अन्य सदस्य को न मार दे । इसी समय हैड कांस्टेबल केदार सिंह उस डाकू पर झपटे और उसकी राईफल को कब्जे में कर लिया । किन्तु श्री सूरत सिंह चोट के कारण कुछ क्षणों पश्चात् वीर गति को प्राप्त हो गए ।

इस मुठभेड़ में श्री सूरत सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, सूझबूझ, कर्त्तव्य-परायणता का परिचय देते हुए डाकू को पकड़ने में अपने जीवन का बलिदान कर दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 मई, 1978 से दिया जाएगा।

सं० 70—प्रेस/79—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री,
पुलिस अधीक्षक,
सिटी कानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24 जनवरी, 1975 को कानपुर में बी० एम० एस० डी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय और छात्रावास के बिल्कुल निकट कर्बला में मुस्लिम समुदाय का एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था । अपराह्न लगभग 2.30 बजे छात्रावास के कुछ निवासियों और मुस्लिम ताजियेदारों के बीच झगड़ा हो गया । ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल पर दोनों दलों ने आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप अनेक पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई । छात्रावास को लूट लिया गया और छात्रों को पीटा गया । एक छात्र की हत्या कर दी गई और अनेक घायल हुये । बाद में दोनों दलों में समाज-विरोधी तत्व शामिल हो गये और स्थिति ने गंभीर रूप धारण कर लिया ।

सूचना प्राप्त होने पर श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और व्यवस्था बनाये रखने की कोशिश की । उन्होंने दोनों दलों को हिंसा से काम न लेने की चेतावनी दी और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया । किन्तु भीड़ पथराव पर उतारू हो गई और श्री अग्निहोत्री को कई चोटें आई । श्री अग्निहोत्री ने जख्मी होने

के बावजूद भी हिंसक भीड़ को कुमुक आने तक हिंसा करने से रोके रखा। कुमुक आने के पश्चात् इस दौरान उनको सूचना मिली कि पीछे हटती हुई भीड़ आक्रमण और आगजनी पर उतारू होने की कोशिश कर रही है।

श्री अग्निहोत्री घटनास्थल की ओर बढ़े और फिर दुबारा उनको सिर पर गम्भीर चोट आई। वे तब तक संक्रियाओं का निर्देशन करते रहे जब तक कि बेहोश होकर गिर न पड़े और अस्पताल को न ले जाए गए।

हिंसक दंगों को रोकने में श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री ने उत्कृष्ट वीरता, दृढ़-निश्चय, सूझबूझ, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 जनवरी, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 71-प्रेज/79.—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ईजहारुल हक,
कांस्टेबल, सिविल पुलिस,
इटावा जिला,
उत्तर प्रदेश।

श्री पन्ना लाल,
कांस्टेबल, सिविल पुलिस,
इटावा जिला,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

17 जनवरी, 1978 को फुफन्द पुलिस स्टेशन के स्टेशन अधिकारी को विश्वस्त सूचना मिली कि कुख्यात डाकू श्याम चरण न्योली प्राईमरी स्कूल के पास के बगीचे में अपने साथियों के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा है और उसके गाव के गिरोह की डाका डालने की संभावना है। स्टेशन अधिकारी दो कांस्टेबलों श्री ईजहारूल हक और श्री पन्ना लाल को लेकर तुरन्त उस स्थान की ओर गए और पुलिस कर्मियों को यथास्थान तैनात करने के बाद आततायी को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। जवाब में डाकू श्याम चरण ने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं और उसके बाद न्योली गांव की तरफ भागने की कोशिश की। श्री पन्ना लाल और श्री ईजहारूल हक ने डाकू का पीछा किया। अन्त में डाकू ने शंकर तेली के घर के नजदीक मोर्चा सम्भाला और पीछा करते हुए पुलिस दल पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाना शुरु कर दिया। श्री पन्ना लाल और श्री ईजहारूल हक को कुछ चोटें आयी लेकिन वे आत्मरक्षा में डाकू पर गोलियां चलाते रहे। फलस्वरूप डाकू घटनास्थल पर ही मारा गया। मृत डाकू से एक देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में कांस्टेबल श्री ईजहारूल हक और श्री पन्ना लाल ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए असाधारण साहस कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. ये पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जनवरी, 1978 से दिया जाएगा।

के० सी० मावप्पा,
राष्ट्रपति के सचिव

## योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 1979

### संकल्प

सं० टी० और सी०/3(15)/77.—योजना आयोग द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 के इसी संख्या के संकल्प के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की अवधि दिनांक 31 मार्च, 1980 तक और बढ़ा दी गई है।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सबंधितों को भेजी जाए और इसे सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

योगेन्द्र मोहन, निदेशक
(प्रशासन)

## गृह मंत्रालय

### कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 दिसम्बर 1979

संख्या 6(2)/23/77-कल्याण.—सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाई जा रही कैंटीनों और टिफिन रूमों में सभी पदों को दिनांक पहली अक्तूबर, 1979 से संघ के कार्यों टी० वी० रंगराजन के संबंध में पदों के रूप में माना जाए। तदनुसार, ऐसे पदों के वर्तमान और भावी पदधारियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल पदों के पदधारी के रूप में अर्हक माना जाएगा। उनकी सेवा की शर्तों को शासित करने वाले आवश्यक नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए जाएंगे जो पहली अक्तूबर, 1979 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे।

टी. वी. रंगाराजन, संयुक्त सचिव

## वित्त मंत्रालय

### राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1979

### संकल्प

अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों के लिए स्थायी पुनरीक्षण समिति

सं० 21/19/79-बि०क०.—वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के दिनांक 5 अक्तूबर, 1979 के संकल्प सं० 21/19/79-बि० क० में, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों के लिए स्थायी पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया, निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, अर्थात् :—

(i) वर्तमान प्रविष्टि (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(vii) आयुक्त (कर अनुसंधान), केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, —सदस्य।"

(ii) प्रविष्टि (vii) के बाद, निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—"(viii) उप सचिव (बिक्री कर), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग—समिति के सचिव ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति के सचिव तथा समिति में सम्मिलित सभी अधिकारियों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जी० रामचन्द्रन, सचिव

---

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली-110029, दिनांक 26 नवम्बर 1979

संकल्प

सं० एफ० 20019/1/77-प्रशा० I—भारत सरकार ने बी०एच०ई०एल० के भूतपूर्व निदेशक डा० एच० एन० शरण द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति की सदस्यता से दिए गए त्यागपत्र को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को सभी राज्य सरकारों, संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रीमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री के कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जनसामान्य की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० वेंकटेश, संयुक्त सचिव

---

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 1979

शुद्धि पत्र

विषय:—राष्ट्रीय कोडेक्स खाद्य पदार्थ मानक समिति

सं० पी० 16016/7/78-पी० एच० (एफ० एण्ड एन०) (पी०एफ०ए० (डी०एम०एस०)—भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगरीय विकास, मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के तारीख 29 मई, 1970 के शुद्धि पत्र संख्या 14-36/67-पी० एच० और तारीख 2 सितम्बर 1972 के शुद्धिपत्र संख्या जी० 14-19/72-पी०एच० तथा तारीख 2 सितम्बर, 1977 के शुद्धिपत्र संख्या पी० 16016/12/77-पी०एच० द्वारा यथासंशोधित उक्त मंत्रालय के तारीख 31 मार्च, 1970 के संकल्प संख्या 14-36/67-ए०पी०एच० के पैरा-1 :—

(क) क्रम संख्या 1 के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर यह प्रविष्टि—"1. भारत सरकार के अपर सचिव (उत्पादन) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)—अध्यक्ष," रखी जाएगी ।

(ख) क्रम संख्या 1 के सामने दी गई प्रविष्टि के नीचे प्रविष्टि "1.क. खाद्य मानक कार्यक्रम से संबंधित संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—उपाध्यक्ष" रखी जाएगी ।

(ग) क्रम संख्या 6 के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर यह प्रविष्टि—"6. वाणिज्य मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) का एक प्रतिनिधि" रखी जाएगी ।

(घ) क्रम संख्या 11 के सामने दी गई प्रविष्टि के स्थान पर यह प्रविष्टि "11. निदेशक, नौ उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय)" रखी जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री के कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, समिति के सरकारी सदस्यों को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए शुद्धिपत्र को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

जी० पंचापकेशन, अवर सचिव

---

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 1979

संशोधन

विषय :—गोसम्वर्द्धन सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन

सं० 22-1/77-एल०डी०टी०—भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प सं० 22-1/77-एल०डी०टी० दिनांक 16-1-78 तथा 26-4-78 व 28-12-78 के उसके संशोधनों के क्रम में भारत सरकार ने राजपत्र को इन अधिसूचनाओं को निम्नलिखित रूप में फिर संशोधित करने का निर्णय किया है :—

1. हरियाणा राज्य गोशाला संघ, राज भवन, रेलवे रोड, कैथल के एक प्रतिनिधि की मौजूदा अन्य सदस्यों के अतिरिक्त तत्काल से परिषद का एक गैर-सरकारी सदस्य नामित किया जाता है ।

2. दिनांक 28-12-78 के संशोधन की क्रम सं० (3) में उल्लिखित सरकारी सदस्यों को कलैण्डर वर्ष 1980 के दौरान असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के पशुपालन निदेशकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि इस संशोधन की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार

के विभागों और मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा व राज्य सभा सचिवालयों तथा अन्य सभी संबंधित संगठनों को भेज दी जाएं।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संशोधन सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एम० एस० स्वामीनाथन, सचिव

---

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 1979

सं० 14013/1/77-एफ०आर०--भारत सरकार के इस मंत्रालय के संकल्प सं० 11-33/68-एफ०आर० (खण्ड 2) दिनांक 31 जुलाई, 1976 के अनुसार गठित "सूरतगढ़ फार्म पूंजी निवेश मूल्यांकन समिति" द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा को 30-11-79 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नांकित व्यक्तियों को भेज दी जाएं :--

1. सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
2. लोक सभा सचिवालय।
3. राज्य सभा सचिवालय।
4. प्रधान मंत्री का कार्यालय।
5. मन्त्रिमण्डल सचिवालय।
6. न्यायमूर्ति जानकीनाथ भट्ट, अध्यक्ष, सूरतगढ़ फार्म पूंजी निवेश मूल्यांकन समिति, विज्ञान भवन, एनेक्स, नई दिल्ली।
7. श्री आर० राजगोपालान, मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन तारा बिल्डिंग, कमरा नं० 403, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
8. श्री मंगल बिहारी, वित्तीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. भारतीय कृषि अनुसंधान, परिषद् कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. स्थापना 1,2,3,4,5,6, रोकड़-I अनुभाग, बजट लेखा अनुभाग, कृषि विभाग, नई दिल्ली।
11. सूचना अधिकारी, कृषि विभाग, नई दिल्ली।
12. अध्यक्ष, भारतीय राज्य फार्म निगम, बीज भवन, पूसा कम्पलैक्स, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़/जैतसर (राजस्थान)।
14. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय), कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली।
15. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

बोधराज, अवर सचिव

---

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1979

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/76/38/9--रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 3-11-1978 के संकल्प संख्या हिन्दी/समिति/76/38/9 के क्रम में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री शंकर दयाल सिंह, कामता सदन, बोरिंग रोड, पटना को रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ना० वि० जयरामन, संयुक्त सचिव

---

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1978

No. 67-Pres./79.—The President is pleased to approve of the award of the "VAYU SENA MEDAL"/"AIR FORCE MEDAL" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage :—

1. Group Captain SURJIT SINGH MALHOTRA (4831) Flying (Pilot)

Group Captain Surjit Singh Malhotra was commissioned in the Indian Air Force in November, 1954. He has been serving as the Commanding Officer of Air Headquarters Communication Squadron since March, 1976. During the very first year of his command, he brought about appreciable improvements in all round performance and efficiency of the Squadron. The Squadron flew a total of 5,292 accident-free hours maintaining a high state of serviceability. He also ensured that the aircrew training was vigorously progressed. This enabled the Squadron to achieve hundred percent aircrew categorisation and remain fully operational. Under his able guidance, the Squadron also completed its tasks connected with the transportation of dignitaries and undertook all the transport support missions assigned to it.

Group Captain Malhotra has over 7,300 hours of unblemished accident-free service flying to his credit. He has flown six types of operational aircraft and has held highest transport category 'A' on no less than four types. At present, he holds 'A' category on two types of aircraft in current use. This is commendable achievement particularly when he has been on ground tenure for nearly seven years during his service.

Group Captain Surjit Singh Malhotra has thus displayed high professional skill, determination and devotion to duty of an exceptional order.

2. Wing Commander DAYA KRISHAN DHIMAN (5180) Flying (Pilot)

Wing Commander Daya Krishan Dhiman was serving as commanding Officer of a fighter squadron. While on duty as flying supervisor in the Air Traffic Control, he was called upon to assist an aircraft Pilot who was involved in a grave situation of loss of power controls and all hydraulic services, failure of both generators with impending total loss of electric supply and loss of speed control due to throttle being stuck at 98% RPM. It was a unique and challenging situation and to avoid a serious accident, it was necessary to land the aircraft immediately. The advice tendered by Wing Cdr Dhiman to the pilot of the aircraft at that moment, which enabled the latter to accomplish safe recovery of the aircraft, is a proof of his sound professional competence. This also subsequently led to the discovery of the cause of the aircraft failure.

As Commanding Officer, Wing Commander Dhiman, raised by his hard work, the operational potential of the unit both on the ground and the air. Although his unit is equipped with old aircraft which have enormous maintenance and operational problems, he overcame all the handicaps and enabled his unit to achieve outstanding operational training standards.

Wing Commander Daya Krishan Dhiman has thus displayed professional competence, leadership and devotion to duty of an exceptional order.

3. Wing Commander : SRINIVASAPURAM KRISHNASWAMY (6338) Flying (Pilot)

Wing Commander Srinivasapuram Krishnaswamy served in a tactical and Air Combat Development Establishment for one year. During that period, he performed the duties of a Flight Commander and a staff pilot and conducted Fighter Combat Leaders' course. As Flight Commander, he carried out the difficult task of running the Daily Servicing Section, often working round the clock with a view to ensuring a high standard of performance. He used his professional knowledge as a test pilot to guide airmen/technicians working under him and motivate them, by personal example, to work hard. It was because of his deep involvement with the maintenance activities of the Daily Servicing Section and also the Repair and Servicing Section, that the establishment was able to meet its commitments. In the air also, he was able to assist in the wide range of concentrated operational flying tasks of the establishment.

His contribution has not been confined to this establishment alone. He has often been called upon to carry out special test flights on such aircraft as had developed peculiar snags and were unsafe for flying even by experienced Squadron Pilots. Despite the hazards involved in such flights and considering that he is not employed on test flying duties, he has always accepted these commitments willingly and executed the flights ensuring maximum safe by both to the pilot and the aircraft. Because of his deep knowledge of the subject, he was called upon to give special lectures on aerodynamics to all pilots, even at other bases and explain to them the techniques of aircraft handling and thus promoted among them a higher consciousness for flight safety.

Wing Commander Srinivasapuram Krishnaswamy has thus displayed high professional skill, competence and devotion to duty of an exceptional order.

4. Squadron Leader AJAI KUMAR SINGH (6336) Flying (Pilot)

Squadron Leader Ajai Kumar Singh was commissioned in the Indian Air Force in 1961. He qualified as a flying instructor in 1965 and carried out this onerous task with distinction. Because of his flying skill and professional knowledge he was appointed Station Instrument Rating Instructor in 1966. He distinguished himself in his coveted instructional tenure by qualifying for 'A' category in 1967. He subsequently served, with distinction, on the staff of the Flying Instructors' School and at an operational aircraft conversion unit. He has to his credit a record of 3,500 hours of accident-free flying.

On completion of his Defence Services Staff College Course with distinction, he was selected for assignment in the Directorate of Air Staff Requirements at Air Headquarters. During the tenure, he was called upon to prepare Air Staff requirements for combat aircraft and major systems and carry out subjective analysis and assessment of contemporary weapon system being considered for induction in the Indian Air Force. In addition, he was assigned special conceptional time-bound tasks which were successfully accomplished by him. He also maintained tactful and effective liaison with various agencies in the Research and Development Organisation and the Aircraft Industry which has helped the Air Force in finalising major acquisitions and indigenous schemes.

Squadron Leader Ajai Kumar Singh has thus displayed professional competence, diligence and devotion to duty of an exceptional order.

5. Squadron Leader GOPAL KRISHAN MEHTA (6752) Flying (Pilot)

Squadron Leader Gopal Krishan Mehta was on the posted strength of a transport Squadron for two years and was employed in the capacity of Flight Commander. Unmindful of his personal comfort, he ceaselessly worked for long hours in coordinating and supervising the air maintenance task given to the Squadron and completed it ahead of schedule. He himself flew a total of over 900 hours, out of which 550 hours were flown on operational missions in Nagaland and Mizoram. He has, to his credit, a total of 4784 hours of flying out of which 2010 hours have been flown on operational missions over mountainous terrain and under adverse weather condition.

He is an 'A' category transport pilot with Master Green instrument rating. With his professional competence and organising ability, he has brought about all round improvement in the categorisation state of pilots in the squadron. He accompanied them on such flights, trained them and brought them up for categorisation. His personal involvement has motivated his subordinates to give their best to the Air Force.

Squadron Leader Gopal Krishan Mehta has thus displayed professional competence, leadership and devotion to duty of an exceptional order.

6. Squadron Leader RAJINDER PAL SINGH DHILLON, SC (7741) Flying (Pilot)

Squadron Leader Rajinder Pal Dhilon has been commanding a Helicopter Flight since 5th December, 1975. During his tenure, the unit has undertaken ever-increasing commitments in connection with the Oil and Natural Gas Commission's off-shore tasks, the successful completion of which have brought laurels to the Air Force. Undeterred by the shortage of pilots, Squadron Leader Dhillon himself took the heavy flying commitments and carried out 600 hours of flying on support mission in connection with the drilling operations of the Oil and Natural Gas Commission.

As Unit Commander, Squadron Leader Dhillon ensured that all personnel under him worked as a team and completed all tasks assigned to them to the complete satisfaction of the higher authorities. He has flown over 150 sorties on duties connected with the transportation of dignitaries in far-flung areas of the country as well as abroad. He has to his credit, a total of 5200 hours of flying, on jets and helicopters.

Squadron Leader Rajinder Pal Singh Dhillon thus displayed professional competence, leadership and devotion to duty of an exceptional order.

7. Squadron Leader SWARAN SINGH BANGA (8100) *Flying (Pilot)*

On 21st May, 1977, whilst on an instructional sorties in the local flying area on an aircraft, Squadron Leader Swaran Singh Banga experienced a flame out at a height of 2500 metres, as a result of technical failure. Re-lighting efforts were not successful. There was sufficient height for safe ejection by both the occupants of the aircraft. But in order to save the valuable aircraft, Squadron Leader Banga decided to forceland on a runway under construction at a critical distance. He remained fully composed throughout the emergency and executed a well judged forced-landing against heavy odds which included manouvering skillfully to avoid bulldozers playing on the runway just seconds before touchdown.

In this action, Squadron Leader Swaran Singh Banga displayed outstanding courage, professional skill and devotion to duty of an exceptional order.

8. Flight Lieutenant THAKUR RAMANUJ SINGH (10593) Flying (Pilot)

Flight Leiutenant Thakur Ramanuj Singh was commissioned in the Indian Air Force in October, 1966. He has to his credit a total of 2,740 hours of accident-free flying. On 14th October, 1977. Flight Lieutenant Singh was ordered to evacute Sir Edmund Hillary, the Everest Hero and the leader of the "Ocean to Sky Expedition", who was reportedly lying critically ill near Manna helipad. Flight Lieutenant Singh immediately got airborne and, using his professional skill and immaculate planning, reached the helipad in a record time. On arrival at the helipad, he was told that Sir Edmund Hillary was lying at the base camp, located at approximately 17,5000 feet above mean sea level on Nar Parbat. The weather was extremely turbulent and the whole area between 11.500 and 19,000 feet was covered with clouds. In utter disregard to his own safety, he got airborne and made an attempt to reach the base camp. He exhibited exceptional skill in this search but his efforts were thwarted due to clouds near the base

camp. He continued to make efforts to rescue Sir Edmund Hillary till the last light when he was forced to return.

On 15th October, 1977, Flight Lieutenant Singh was detailed to fly as a co-pilot for the same mission. The helicopter got airborne at first light. Weather conditions by now had slightly improved and the crew reconnoitred the area. After 15 minutes of flying, it was Flight Lieutenant Singh, who first located Sir Edmund Hillary at a height of 17,500 feet above mean sea level. With a continuous commentary, he assisted the captain in bringing the helicopter to hover close to the casualty. The terrain did not permit a landing or winching. Disregarding his personal safety, Flight Lieutenant Singh jumped out of the hovering aircraft and assisted Sir Edmund Hillary to board the hovering aircraft and got in after him. Thereafter, he made Sir Edmund Hillary comfortable and also helped the Captain in flying the aircraft back to base.

Flight Lieutenant Thakur Ramanuj Singh displayed high standard of flying skill, exemplary courage and devotion to duty of an exceptional order.

9. Flight Lieutenant MIRZA MURTUZA ALI (11340) Flying (Pilot)

Flight Lieutenant Mirza Murtuza Ali is posted as Flight Commander of a Helicopter Unit Since 5th January, 1975. He has been responsible for execution of all flying tasks of the unit as well as training of aircrew. This being the type-conversion unit of the Air Force, it fell upon Flight Lieutenant Ali, to organise and execute conversion of pilots. Besides supervision, this entailed a tremendous amount of instructional work, both in the air and on the ground. He devoted himself whole-heartedly to the task and with his professional skill, perserverance and sustained hard work, was able to train 26 pilots on type, which is an exceptionally high number by any standards. He involved himself closely with all aspects of flying activities in the unit. With his effective supervision, he contributed significantly towards the unit's performance of 2234 hours of accident-free flying in 1976. He set an example to his colleagues and juniors by flying 631 hours himself during the same period. He holds a current B/Master Green category.

Flight Lieutenant Mirza Murtuza Ali has thus displayed professional competence, leadership and devotion to duty of an exceptional order.

10. 200072 Master Warrant Officer JAGDISH CHANDRA MUNJAL, Flight Signaller

Master Warrant Officer Jagdish Chandra Munjal has been working as a Flight Signaller in a transport squadron of the Air Force since June, 1973. He has a total of 9800 hours of flying to his credit, out of which 2320 hours are on operational flying. He has always been in the forefront in carrying out all arduous and difficult missions and has set a very high standard of airmanship. It is mainly due to his relentless efforts and untiring zeal that he achieved the rare distinction of flying a total of over 720 hours in one year and of over 2100 hours on transport aircraft in three years.

Master Warrant Officer Jagdish Chandra Munjal has thus displayed professional competence, zeal and devotion to duty of an exceptional order.

The 14th December 1979

No. 69-Pres. '79.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

*Name and rank of the officer*

Shri Surat Singh, (*Deceased*)
Constable No. 695992046,
51 Battalion,
Border Security Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

At 1400 hours on the 28th May, 1978, information was received at BOP Mehrana, Jaisalmer District that 6 notorious dacoits (three belonging to Pakistan and three to India) were taking shelter in a house in Shahada village and were likely to commit a dacoity. A patrol party consisting of one Inspector, two Sub Inspectors and 15 others ranks was detailed to apprehend the dacoits before they could commit any crime. The patrol party was divided into three groups. They left for Mehrana at 2200 hours. The patrol party reached the Shahada village in the early morning of 29th May, 1978 but at 0530 hours came under heavy fire. The patrol party also returned the fire in self-defence. After some time, the firing stopped. In the meantime the dacoits had escaped towards the Indo-Pak Border. The patrol party chased the dacoits. To elude the police the dacoits divided themselves into two groups and proceeded in two different directions. Both the groups were chased by different police parties. Shri Surant Singh, Constable was a member of the patrol party led by Shri Krishan Kumar, Sub Inspector which chased the dacoit group which had proceeded to the left. While chasing these dacoits, Shri Surat Singh, leading man of that party, noticed that a dacoit was getting down on the other side of the sand dune. He passed on the information to Shri Krishan Kumar and in disregard of his personal safety, out ran the dacoits and successfully cut off the retreat of the fleeing dacoits. He was quickly joined by Shri Krishan Kumar. The dacoits announced their surrender and put their hands up. When Shri Surat Singh proceeded to apprehend them, one of the dacoits fired at Shri Surat Singh's chest. Shri Surat Singh in disregard of the injury grappled with the dacoit lest he might kill the other members of the patrol party. In the meantime, Head Constable Didar Singh jumped on the dacoit and got hold of his rifle. Shri Surat Singh, however, succumbed to his injury after a few moments.

In the encounter, Shri Surat Singh exhibited conspicuous gallantry, presence of mind, devotion to duty and sacrificed his life while apprehending the dacoit.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowances admissible under rule 5, with effect from the 29th May, 1978.

No. 70-Pres./79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :

*Name and rank of the officer*

Shri Om Prakash Agnihotri,
Superintendent of Police,
Kanpur City,
Uttar Pradesh.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 24th January, 1975, a big congregation of Muslims was held at Karbala close to the V.S.S.D. Post Graduate College and Hostel at Kanpur. At about 2-30 P.M., an altercation took place between some residents of the hostel and Muslim Taziadars. The police force posted on duty was assaulted by both the parties resulting in injuries to a number of policemen. The hostel was ransacked and the students were beaten up. One students was murdered and a number of them injured. Later on both the parties were joined by anti-social elements and the situation took a serious turn.

On receiving information, Shri Om Prakash Agnihotri reached the spot and tried to restore order. He warned both parties to desist from violence and assured an impartial probe so that stringent action could be taken against the culprits. The mob however indulged in brick-batting and Shri Agnihotri received multiple injuries. Inspite of being injured, Shri Agnihotri prevented the violent crowd from indulging in further acts of violence until reinforcement arrived. Shri Agnihotri received an information after reinforcements had arrived that the retreating mob was trying to indulge in assault and arson. Shri Agnihotri rushed to the spot and once again received a grevious injury on his head. He however continued to direct operations until he fell unconcious and had to be removed to the hospital.

In curbing these acts of violence, Shri Om Prakash Agnihotri exhibited conspicuous gallantry, determination, presence of mind, leadership and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the tspecial allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th January, 1975.

No. 71-Pres./79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

*Names and ranks of the officers*

Shri Izharul Haq,
Constable,
Civil Police,
District Etawah,
Uttar Pradesh.

Shri Panna Lal,
Constable,
Civil Police,
District Etawah,
Uttar Pradesh.

*Statement of services for which the decoration has been awarded.*

On the 17th January, 1978, the Station Officer of Phaphund Police Station received reliable information that Shyam Charan a notorious dacoit was waiting for the arrival of his associates at a garden near the Primary School, Neoli and that the gang was likely to commit dacoity thereafter. The Station Officer accompanied by two constables Shri Izharul Haq and Shri Panna Lal, rushed to the spot and after suitably deploying the police personnel challenged the desparadoes to surrender. In reply dacoit Shyam Charan opened fire at the police party and tried to escape towards Neoli. Shri Panna Lal and Shri Izharul Haq chased the dacoit who finally took position near the house of Shankar Teli and started firing indiscriminately at the chasing police party. Shri Panna Lal and Shri Izharul Haq received some injuries but they kept on firing in self-defence. Consequently the dacoit was killed on the spot. A country-made pistol and cartridges were recovered from the dead dacoit.

In the encounter, Shri Izharul Haq and Shri Panna Lal, Constables without caring for their lives, exhibited exceptional courage, complete devotion to duty and conspicuous gallantry.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th January, 1978.

K. C. MADAPPA, Secy.
to the President.

---

## PLANNING COMMISSION

*New Delhi, the 23rd November 1979*

### RESOLUTION

No. T&C/3(15)/77.—The term of the National Transport Policy Committee set up by the Planning Commission, vide its resolution of even number dated the 28th April, 1978, has been further extended upto 31st March, 1980.

### ORDER

Ordered that a copy of the resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the gazette of India for general information.

Y. MOHAN, Director (Administration)
Planning Commission

---

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

New Delhi, the 11th December 1979

No. 6(2)/23/77-Welfare.—It is hereby notified for the information of all concerned that the Government of India have taken a decision to treat, with effect from the 1st day of October, 1979, all posts in the Canteens and tiffin rooms run departmentally by the Government of India as posts in connection with the affairs of the Union. Accordingly present and future incumbents of such posts would qualify as holders of civil posts under the Central Government. Necessary rules governing their conditions of service will be framed under proviso to article 309 of the Constitution to have retorspective effect from the 1st day of October, 1979.

T. V. RANGARAJAN, Jt. Secy.

---

## MINISTRY OF FINANCE

## DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 27th November 1979

### RESOLUTION

### (STANDING REVIEW COMMITTEE FOR ADDITIONAL EXCISE DUTIES)

No. 21/19/79-ST.—In the Ministry of Finance, Department of Revenue Resolution No. 21/19/79-ST dated 5th October, 1979, constituting the Standing Review Committee for Additional Excise Duties, the following amendments shall be made, namely :—

(i) For the existing entry (vii), the following entry shall be substituted, namely :—

"(vii) Commissioner (Tax Research), Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue—Member."

(ii) After entry (vii), the following item shall be added, namely :—

"(viii) Deputy Secretary (Sales Tax), Ministry of Finance, Department of Revenue—Secretary to the Committee."

### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Union Territories, all Ministries of Government of India, Prime Minister's Office, Secretary to the President, Secretary to the Vice-President and all Officers constituting the Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

G. RAMACHANDRAN, Secy.

---

## DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 26th November 1979

### RESOLUTION

No. F. 20019/1/77-Admn.I.—The Government of India have decided to accept the resignation tendered by Dr. H. N. Sharan, former Director, BHEL, of the membership of the National Committee on Science & Technology, with immediate effect.

### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Railway Board, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Members of the National Committee on Science and Technology.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. VENKATESH, Jt. Secy.

---

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 19th November 1979

### CORRIGENDUM

Subject : National Codex (Food Products Standards) Committee.

No. P. 16016/7/78-PH(F&N)PFA.—In the resolution of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Health) No. 14-36/67-PH dated the 31st March 1970, as amended *vide* that Ministry's corrigenda No. 14-36/67-PH dated the 29th May 1970, No. G. 14-19/71-PH dated the 2nd September 1972 and No. P. 16016/12/77-PH (F&N), dated the 2nd September 1977, in para 1—

(a) for the entry against Serial No. 1, the entry "1. The Additional Secretary (Production) to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) ..... Chairman." shall be substituted:

(b) below the entry at Serial No. 1, "1A. The Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, dealing with the Food Standards Programme....Vice-Chairman." shall be inserted;

(c) for the entry against Serial No. 6, the entry "6. A representative of the Ministry of Commerce and Civil Supplies (Department of Civil Supplies)." shall be substituted; and

(d) for the entry against Serial No. 11, the entry "11. The Director, Marine Products Exports Development Authority (Ministry of Commerce and Civil Supplies)." shall be substituted.

ORDER

ORDERED that a copy of this corrigendum be communicated to the Secretary to the President, the Prime Minister's Office, the Cabinet Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India, all State Governments and Union Terriory Adminisrations, Government Members of the Committee.

ORDERED that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPTT. OF AGRICULTURE AND COOP.)

New Delhi, the 28th November 1979

AMENDMEND

Subject :—Reconstitution of Gosamvardhana Advisory Council.

No. 22-1/77-LDT.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 22-1/77-LDT dated 16-1-78 and Amendments thereof dated 26-4-78 and 28-12-78 published in the Gazette of India, Part-I, Section 1, Government of India have decided to further amend these Gazette Notifications as follows :—

1. One representative of Haryana Rajya Goshala Sangh, Raj Bhavan, Railway Road, Kaithal, is nominated with immediate effect as a non-official member of the council in addition to other existing members.

2. Official members mentioned at S. No. (iii) of the amendment dated 28-12-78 shall be substituted during the calender year 1980 by Directors of Animal Husbandry in the States of Assam, Haryana, Uttar Pradesh & Karnataka.

ORDER

1. ORDERED that a copy of the amendment be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories & the Departments of Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha & Rajya Sabha Secretariats & all other concerned organisations.

2. ORDERED also that the amendment be published in the Gazette of India for general information.

M. S. SWAMINATHAN, Secy.

New Delhi, the 30th November 1979

RESOLUTION

No. 14013/1/77-FR.—The Government of India have decided to extend the time limit for submission of its report by the 'Suratgarh Farm Investment Evaluation Committee' set up *vide* this Ministry's Resolution No. 11-33/68-FR (VOL. II), dated 31st July, 1976, upto 30-11-1979.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to :—

1. All State Governments/Union Territories.
2. Lok Sabha Secretariat.
3. Rajya Sabha Secretariat.
4. Prime Minister's Office.
5. Cabinet Secretariat.
6. Justice Janki Nath Bhat, Chairman, Suratgarh Farm Investment Evaluation Committee, New Delhi.
7. Shri R. Rajagopalan, Chief Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, Govt. of India, Jeevan Tara Building, Room No. 403, Parliament Street, New Delhi.
8. Shri Mangal Behari, Financial Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
9. Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi.
10. E.I, E.II, E.III, E.IV, E.V, E.VI, Cash I Section, Budget Section and Budget Accounts Section, Deptt. of Agriculture, New Delhi.
11. Information Officer, Deptt. of Agriculture, New Delhi.
12. Chairman, State Farms Corporation of India, New Delhi.
13. Director, Central State Farm, Suratgarh/Jetsar, Rajasthan.
14. Pay & Accounts Officer (Sectt.), Ministry of Agriculture & Irrigation, Deptt. of Agriculture & Cooperation, Akbar Road Hutments, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BODH RAJ, Under Secy.

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 29th November 1979

RESOLUTION

No. Hindi Samiti/76/38/9.—In continuation of Ministry of Railways' (Railway Board's) resolution No. Hindi/Samiti/76/38/9 dated 3-11-78 regarding reconstitution of Railway Hindi Salahkar Samiti, the Government of India hereby resolves to appoint Shri Shankar Dayal Singh, Kamta Sadan, Boring Road, Patna, as the member of the Railway Hindi Salahkar Samiti.

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and Ministries and Departments of Govt. of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. V. JAYARAMAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979